

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-5

संख्या- /XXVII(5)/स्टाम्प/2005

देहरादून:दिनांक/2 अगस्त,2005

अधिसूचना

राज्यपाल,रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908(1908 का 15) की धारा 78 क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये (दस लाख रुपये) की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक को देने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

15 (Stamp) मुद्रांकित
स्थापना की तिथि 15-9-2003 से इस प्रकार की जा चुकी है।
16/8/05
अनुभव

(सधा रतूडी)
सचिव।

संख्या-235(1)/XXVII(5)/स्टाम्प/2005,तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-संगस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन।
- 2-संगस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
- 3-महानिरीक्षक,निच-चन,उत्तरांचल,देहरादून।
- 4-उप-निदेशक,राजकीय प्रेस,रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-5 में अदिलग्न उपलब्ध करा दें।
- 5-न्याय/विधायी अनुभाग,उत्तरांचल शासन,देहरादून।
- 6-गार्ड फाईल।

G-2124 अनुभव
आवश्यक कार्यवाही करें
अनुभव
सहायक सचिव
उत्तरांचल, देहरादून

आज्ञा से:
(एसोच. प्रो. वि. वि. वि.)
अनु सचिव।